

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/विविध सडक-2/2021-22/21465-76 दि. 10/8/21

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : बीटी सडक का निर्माण कार्य ए/आर अडूवापाडा से अम्बाको तक
3 किमी तक ग्राम पंचायत नादिया पंचायत समिति छोटी सरवन की
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 25694-99 दि. 24.10.20।

महोदय,

विभागीय प्रासंगिक पत्रांक 25694-99 दि. 24.10.2020 द्वारा सडक डामरीकरण आजाद नगर से खेमजी हुरजी के घर तक 2 किमी तक ग्राम पंचायत नादिया पंचायत समिति छोटी सरवन जिला बांसवाडा की जारी प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली के पैरा 300/एन के निर्देशानुसार एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा का पत्रांक 2687-90 दिनांक 06.07.2021 के साथ संलग्न अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड घाटोल बांसवाडा से प्राप्त पत्रांक 2687-90 दिनांक 06.07.2021 द्वारा निम्नलिखित डामरीकरण सडक निर्माण कार्य का तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में विभागीय आदेश परिपत्र क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कन्टिजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए जिसके अन्तर्गत 0.25 आयुक्तालय के खाते में मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आरक्षित रखते हुए निम्नानुसार सडक निर्माण कार्य की कॉलम संख्या 4 अनुसार राशि 128.72 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी-सार्वजनिक निर्माण विभाग

(राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम व स्थान	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किशत राशि	0.25% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में	प्रथम किशत हस्तान्तरण योग्य राशि(5-6)
			क्र/दि	राशि			
0	1	2	3	4	5	6	7
1	बीटी सडक का निर्माण कार्य ए/आर अडूवापाडा से अम्बाको तक 3 किमी तक ग्राम पंचायत नादिया	छोटी सरवन	68 08.01.21	128.72	51.49	0.28	51.21

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 128.72 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त की (40 प्रतिशत) राशि 51.49 लाख रु. की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या-67/2020-21 दिनांक 24.03.2021 राशि 742.00 लाख में से कॉलम संख्या 7 अनुसार रु. 51.21 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को देय होगी एवं कॉलम संख्या 6 अनुसार राशि 0.28 लाख आयुक्त कार्यालय के खाते जमा होगी शेष राशि कार्य की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कार्यों का सम्पादन निम्नांकित शर्तों के अधीन कराया जावे। शेष राशि कार्यों की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावे। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।
5. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावे जिन्हें विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यों के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावे।

भवदीय

(प्रज्ञा केवलरमानी)IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/विविध सडक-2/2021-22/21465-76 दि. 10/8/24
प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बांसवाडा।

5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड घाटोल जिला बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
8. लेख है कि कृपया कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कार्य की कुल राशि 128.72 लाख के विरुद्ध कॉलम संख्या 7 अनुसार 51.21 लाख रू. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तान्तरित करावें एवं कॉलम संख्या 6 अनुसार राशि 0.28 लाख आयुक्त कार्यालय में कार्यो की मॉनिटरिंग मद में आरक्षित रखी जावें। स्वीकृति सं. 67/2020-21 दिनांक 24.03.2021 राशि रू. 742.00 लाख में से हस्तांतरित होगी।
10. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
- ✓ 11. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, गार्ड पत्रावली कार्यालय हाजा।
12. गार्ड फाईल।

१२
अतिरिक्त आयुक्त